Missing Issue No. 478

594/41

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 6, 1990/अश्विन 14, 1912

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6, 1990/ASVINA 14, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

PART II— Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1990

सा का.नि 620:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1963 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता : वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिस का पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक अधिकारी	1* (1989) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत से अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

8	9	10
(2) किसी सरकारी कार्यालय या लोक निगम या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक संगठन मे निर्शा (पर्यवेक्षीय) हैसियत में प्रशासन/लेखा और स्थापन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ।		

टिप्पणी : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पणी : 2. अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

वांछनीय : — सरकारी नियमों और विनियमों की जानकारी ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा कार्य का अनुभव है । टिप्पणी :—ऐसे विभागीय प्रधान लिपिक के संबंध में विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रति नियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. महानिदेशक नागरिक सुरक्षा—अध्यक्ष 2. उप सचिव/निदेशक—सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती करते समय परामर्श करना आवश्यक है ।

टिप्पणी :— सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।

[सं. आई-12011/2/88-ए डी (सी डी)

राय सिंह, निदेशक (एस पी)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd July, 1990

G.S.R. 620:— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Emergency Relief Training Institute (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1963, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the National Civil Defence College, Nagpur namely:-

1. Short title and commencement:—

   (1) These rules may be called the National Civil Defence College, Nagpur, Administative officer, Recruitment Rules, 1989.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:-

   The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.:-

   The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Cnetral Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do., it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Administrative Officer	1* (1989) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Gazetted (Ministerial).	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension Rules 1972)
6	7
Not exceeding 20 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
8	9
Essential (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience of administration/accounts and establishment work in a supervisory capacity in a Government office or a public body or a commercial organisation of repute. Note: (i) Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. (ii) The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable Knowledge of Government Rules and Regulations.	No.

Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
10	11
2 years for direct recruits and promotees.	By promotion/transfer on deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grade from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.
12	13
Promotion/transfer on deputation officer under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis: or (ii) with 8 years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent, and b) having experience in administration, establishment and accounts matters. Note:- The departmental Head Clerk with 8 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Director General Civil Defence—Chairman 2. Deputy Secretary/Director—Member 2. Director, National Civil Defence College, Nagpur—Member. Note:- The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman of a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted while making recruitment.
14
Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while make direct recruitment.

[No. I-12011/2/88-Ad (CD)]
RAI SINGH, Director (SP)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 621.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी) (भर्ती) संशोधन नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 को अनुसूची में क्रम संख्यांक 4 में आने वाले "साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2" की प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 8 में की विद्यमान प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(घ) बल में चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-2 के रूप में अपनी नियुक्ति पर, उससे आरम्भिक नियुक्ति पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक बल की सेवा अपेक्षित है। आरम्भिक नियुक्ति की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी उसे अच्छे और पर्याप्त कारण से, ऐसी तारीख से, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए जिसके द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाए, बल से पद धारण करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

परन्तु अपने त्यागपत्र की स्वीकृति पर, उसे तीन मास के वेतन और भत्तों के बराबर राशि जो उसने अपने त्यागपत्र की तारीख से पूर्व प्राप्त

की है, या यदि बल में उसे दिए गए प्रशिक्षण की लागत उक्त राशि से अधिक है तो ऐसे प्रशिक्षण की राशि सरकार को वापस करनी होगी।

परन्तु यह और कि [illegible] तीन मास की समाप्ति के पूर्व पद त्याग करने की स्वतन्त्रता होगी।

[सं. 16/27/89-सी एम ओ. बी एस एफ कार्मिक 2]
एम. के. अग्रवाल, उप सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (1) में जी एस आर. सं. 183, तारीख 22 फरवरी, 1988 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में जी एस.आर. सं. 340, तारीख 13-5-89 और जी.एस.आर. सं. 13, तारीख 13-1-90 के तहत संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 17th September, 1990

G.S.R. 621.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force (Medical Officers) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Medical Officers) Recruitment (First Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Border Security Force (Medical Officers) Recruitment Rules, 1987, against the entry "General Duty Medical Officer Grade II", appearing at Sl. No. 4 in column 8, the following entry shall be inserted, below the existing entry namely :—

"(d) on his/her appointment as Medical Officer Grade-II in the Force, he/she shall be required to serve the Force for a minimum period of three years of initial engagement. The Appointing Authority may, during the period of initial appointment, permit him/her, for good and sufficient reason, to resign from the Force with effect from such date as may be specified in the order accepting his/her resignation :

Provided that on the acceptance of his/her resignation, he/she shall be required to refund to the Government a sum equal to three months pay and allowances received by him/her prior to the date of his/her resignation or, if the cost of training imparted to him/her in the Force is greater than the said sum, the cost of such training :

Provided further that he/she shall be at liberty to resign his appointment before the expiry of first three months of his/her service."

[No. 16/27/89-CMO/BSF/Pers. II]
M. K. AGARWAL, Dy. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) as GSR No. 183 dated 22 February, 1988 and subsequently amended vide GSR 340 dated 13-5-89 and GSR No. 13 dated 13-1-90.

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 622.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (समूह "ग" और समूह "घ" कार्यपालक पद) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो समूह 'ग' और समूह 'घ' कार्यपालक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो समूह "ग" और समूह "घ" कार्यपालक पद भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में सहायक उप निरीक्षक के पद से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी। अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक	134* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	1320-30-1560-द. रो.-40-2010 रु.	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(क) 50 प्रतिशत विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा। (ख) 25 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा। (ग) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा।

12	13	14
परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : विशेष पुलिस स्थापन/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में ऐसा हैड कांस्टेबल जिसने उस श्रेणी में विशेष पुलिस स्थापन/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कम से कम 3 वर्ष नियमित सेवा की है। **प्रोन्नति : विशेष पुलिस स्थापन/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में ऐसा हैड कांस्टेबल जिसने विशेष पुलिस स्थापन/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कम से कम 6 वर्ष नियमित सेवा की है।** प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण : (i) केन्द्रीय/राज्य पुलिस बलों में या केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति। (ii) ऐसा हैड कांस्टेबल जिसने उस श्रेणी में केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापन में 6 वर्ष सेवा की है। टिप्पण : (1) ऐसे विभागीय हैड कांस्टेबल जो प्रोन्नति की पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन, में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रोन्नति और पुष्टि के लिये समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (i) उप निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस उप महानिरीक्षक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—अध्यक्ष। (ii) अवर सचिव (सतर्कता) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग—सदस्य (iii) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/सहायक निदेशक अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य। (iv) एक ऐसा अधिकारी जो अवर सचिव के रैंक से नीचे का न हो—सदस्य। (v) सहायक निदेशक (स्थापना) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य।	लागू नहीं होता

पाद टिप्पण : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो "समूह ग" और समूह 'घ' (कार्यपालक पद)" भर्ती नियम, 1987 सा.का.नि० सं० 118 तारीख 28-2-1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

[संख्या 213/2/90-ए का डी III]
जी. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 18th September, 1990

G.S.R. 622.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Bureau of Investigation (Group 'C' and Group 'D' Executive Posts) Recruitmtnt Rules, 1987, namely :

1. (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation Group 'C' and Group 'D' Executive Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Bureau of Investigation Group 'C' and Group 'D' Executive Posts Recruitment Rules, 1987, for the entries relating to the post of Assistant Sub-Inspecor, the following entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
Assistant Sub-Inspector of Police	134* (1990) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(a) 50% by promotion through Departmental Competitive Examination (b) 25% by promotion (c) 25% by deputation or transfer

12	13	14
Promotion through Examination: Head Constable in the Special Police Establishment/Central Bureau of Investigation with at least 3 years of regular service in that grade in the Special Police Establishment/Central Bureau of Investigation. Promotion: Head Constables in the Special Police Establishment/Central Bureau of Investigation, with atleast 6 years regular service in the Special Police Establishment/ Central Bureau of Investigation. Deputation/Transfer: (i) Persons working in similar or equivalent grades in the Central/State Police Forces or in the Central/State Government Departments. (ii) Head Constables with 6 years of service in that grade in the State/Central Police Forces or in the Central Bureau of Investigation, special Police Establishment. NOTE: (i) Departmental Head Constables who are in the line of promotion will not be eligible for consideration on deputation. (ii) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointement in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed five years.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for Promotion and Confirmation: (i) Deputy Director, Central Bureau of Investigation/Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation—Chairman (ii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training—Member (iii) Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation/Assistant Director, Central Bureau of Investigation/ Superintendent of Police (HQ), Central Bureau of Investigation—Member (iv) An officer not below the rank of Under Secretary.—Member (v) Assistant Director (Establishment) Central Bureau of Investigation—Member	Not applicable.

Footnote : The Central Bureau of Investigation (Group 'C' and 'D' Executive posts) Recruitment Rules, 1987 were notified vide GSR No. 118 dated 28-2-1987.

[No. 213/2/90-AVD. II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 623.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची में क्रम सं. 19 (ई) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

19(ज) अंडमान और निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन समूह "ख" अराजपत्रित पद।

[सं. 39018/2/90/स्था.बी.]

एम.वी. केशवन, निदेशक

पाद टिप्पण :—मूल विनियम अधिसूचना सा.का.नि. सं. 789 तारीख 13-9-1958 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे। उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1	2	3
1.	1197	20-12-58
2.	1451	10-12-60
3.	731	3-6-61
4.	1047	26-8-61
5.	382	31-3-62
6.	1644	8-12-62
7.	1689	15-12-62
8.	578	6-4-63
9.	1888	14-12-63
10.	679	2-5-61
11	431	20-2-65
12.	599	24-4-65
13.	1672	20-11-65
14	388	19-3-66
15	622	30-4-66
16.	944	18-6-66
17.	1433	21-6-69
18.	633	18-5-70
19.	879	6-6-70
20	1654	6-11-71
21.	168	24-2-73
22	465अ	14-11-74
23.	594	17-5-75
24.	2288	30-8-75
25.	1063	24-7-76
26	610	14-5-77
27.	740	2-6-79
28.	441अ	14-7-79
29.	73	23-1-82
30	130	15-4-82
31.	481	29-5-82
32.	329	6-4-85
33	479	18-5-85
34	512	1-6-85
35	918	5-10-85
36.	268	12-4-86
37.	1071	20-12-86
38	273	18-4-87
39.	74	6-2-88
40	704	23-9-89
41	37	20-1-90

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 18th September, 1990

G.S.R.623.—In exercise of the powers conferred by the provisio to clause (3) of article 320 of the Constitution the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 after serial number 19(I) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"19(J) Group 'B' Non-Gazetted posts under the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Administration".

[No. 39018/2/90-Estt. B]

M.V. KESAVAN, Director

FOOTNOTE:

Principal regulations published vide Notification G.S.R. No. 789 dated 13-9-1958 Gazette

of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i).
Subsequently amended by:—

S. No.	G.S.R. No.	Date
1	2	3
1.	1197	20-12-58
2.	1451	10-12-60
3.	731	3-6-61
4.	1047	26-8-61
5.	382	31-3-62
6.	1644	8-12-62
7.	1689	15-12-69
8.	576	6-4-63
9.	1888	14-12-63
10.	679	2-5-69
11.	431	20-2-65
12.	599	24-4-65
13.	1672	20-11-65
14.	388	19-3-66
15.	622	30-4-66
16.	944	18-6-56
17.	1433	21-6-69
18.	633	18-4-70
19.	879	6-6-70
20.	1654	6-11-71
21.	168	24-2-73
22.	465 E)	14-11-74
13.	594	1'-5-75
24.	2288	30-8-75
25.	1063	24-7-76
16.	610	14-5-77
27.	740	2-6-79
28.	441E	14-7-79
29.	73	23-1-82
30.	480	15-4-82
31.	481	29-5-82
32.	329	6-4-85
33.	479	18-5-85
34.	512	1-6-85
35.	918	5-10-85
36.	268	12-4-86
37.	1071	20-12-86
38.	273	18-4-87
39.	74	6-2-88
40.	704	23-9-89
41.	37	20-1-90

वित्त मंत्रालय

(राजस्वविभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1990

सा. का. नि. 824.—अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर विभाग (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर विभाग (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर विभाग (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची में—

(1) अनुसूची के क्रम संख्या 1 पर विद्यमान 'पर्यवेक्षक श्रेणी-1' के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त —अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आयकर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो— सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त—सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर —सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो —अतिरिक्त सदस्य"

(2) अनुसूची के क्रम संख्या 2 पर विद्यमान "पर्यवेक्षक श्रेणी 2" के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति, समिति उसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त —अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो —सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त—सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर— —सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो —अतिरिक्त सदस्य"

(3) अनुसूची के क्रम संख्या 3 पर विद्यमान" प्रधान लिपिक" के सामने स्तम्भ (13) वर्तमान के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह" 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त —अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो —सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त —सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर— —सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का

नहीं, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य"

(4) अनुसूची के क्रम संख्या 4 पर विद्यमान "कर सहायक" के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त --अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो --सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त--सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर --सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य"

(5) अनुसूची के क्रम संख्या 5 पर विद्यमान "उच्च श्रेणी लिपिक" के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त --अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो --सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हो, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त --सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर --सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य"

(6) अनुसूची के क्रम संख्या 6 पर विद्यमान "निम्न श्रेणी लिपिक" के के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त --अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो --सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हो, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त --सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर --सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आयकर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य"

(7) अनुसूची के क्रम संख्या 7 पर विद्यमान" गेस्टेटनर आपरेटर" के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त --अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो --सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त--सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर --सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य)"

(8) अनुसूची के क्रम संख्या 9 पर विद्यमान "अभिलेख पाल" के सामने स्तम्भ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त --अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो --सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त --सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उपकलक्टर --सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य"

(9) अनुसूची के क्रम संख्या 10 पर विद्यमान "सूचना सामीलकर्ता" के सामने स्तम्भ (13) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त --अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील) यदि कोई हो --सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त--सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर --सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो --अतिरिक्त सदस्य"

[फा. सं. ए-320121/6/89 प्रशा. VII]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th September, 1990

G.S.R.624:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend Income Tax Department (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, namely:—

1.(1) These rules may be called Income Tax Department (Group C) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the schedule to the Income Tax Department (Group C) Recruitment Rules, 1990:

(i) for the entry under column 13 against 'Supervisor Grade-I' existing at S.No. 1 of the schedule. the following entry shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of—

(a)	Seniormost Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	Chairman
(b)	Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge	Mmber
(c)	Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners of Income Tax (Headuquarters), the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge.	Member
(d)	Local Deputy Collector of Customs and Central Excise	Member
(e)	One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST	Additional Member"

(ii) for the entry under column 13 against 'Supervisor Grade-II' existing at S.No. 2 of the schedule, the following entry shall be substituted namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of –

(a)	Senior most Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	Chairman
(b)	Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge.	Member
(c)	Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two ceputy Commissioners (Headquarters , the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge.	Member
(d)	Local Deputy Collector of Customs and Central Excise	Member
(e)	One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a to (c) belongs to SC/ST.	Additional Member"

(iii) for the entry under column 13 against 'Head Clerk', existing at S.No. 3 of the schedule, the following entry shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of—

(a)	Seniormost Commissioner Income tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	Chairman
(b)	Next Commissiozer of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if, any, in single Charge	Member

(c)	Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deputy Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge	Member
(d)	Local Deputy Collector of Customs and Central Excise.	Member
(e)	One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST.	Additional Member"

(iv) for the entry under column 13 against 'Tax Assistant' existing at S.No. 4 of the schedule the following entry shall be substituted, namely:

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of--

(a)	Seniormost Commissioner of Incoee Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	Chairman
(b)	Next Commissioner of Income Tax in the multiple charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single charge.	Member
(c)	Deputy Commissioner of Incoue Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge	Member
(d)	Local Deputy Collector of Customs and Central Excise.	Member
(e)	One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Incoee Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST.	Additional Member

(v) for the entry under column 13 against 'Upper Division Clerk' existing at S.No. 5 of the schedule, the following entry shall be substituted, namely:

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of...

(a)	Seniormost Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	Chairman
(b)	Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in Single Charge	Member
(c)	Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deeputy Commissioner of Income Tax of the Charge.	Member
(d)	Local Deputy Collector of Customs and Central Excise.	Member
(e)	One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST.	Additional Member

(vi) for the entry under column 13 against 'Lower Division Clerk' existing at S.No. 6 of the, schedule, the following entry shall be substituted namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of--

(a)	Seniormost Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	—Chairman
(b)	Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge.	—Member
(c)	Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge.	—Member
(d)	Local Deputy Collector of customs and Central Excise	Member

(e) One Scheduled Caste/Scheduled—Additional Tribe Officer not below the rank Member of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST.

(vii) for the entry under column 13 against 'Gestetner Operator' existing at S.No. 7 of the schedule, the following entry shall be substituted, namely :—

(a) Seniormost Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax —Chairman

(b) Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single charge —Member

(c) Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge. —Member

(d) Local Deputy Collector of Customs and Central Excise. —Member

(e) One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST. —Additional Member

(viii) for the entry under column 13 against 'Record Keeper' existing at S.No. 9 of the Schedule, the following entry shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:—

(a) Seniormost Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax —Chairman

(b) Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge —Member

(c) Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge —Member

(d) Local Deputy Collector of Customs and Central Excise. —Member

(e) One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST. —Additional Member

(ix) for the entry under column 13 against 'Notice Serve' existing at S.No. 10 of the Schedue the following entry shall be substituted, namely:

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of—

(a) Senior most Commissioner of Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax Chairman

(b) Next Commissioner of Income Tax in the multiple charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge. —Member

(c) Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners (Headquarters), the seniormost Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge —Member

(d) Local Deputy Collector of Customs and Central Excise. —Member

(e) One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the members at (a) to (c) belongs to SC/ST. —Additional —Member

[F.No. A-32012/6/89-Ad. VII]

सा.का.नि. 625.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर विभाग, अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर विभाग अनुसचिवीय कर्मचारी वृन्द (आशुलिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर विभाग अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1989 में—

(1) "आशुलिपिक श्रेणी 2" के सामने स्तंभ (4) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु."

(2) "आशुलिपिक श्रेणी-2" के सामने स्तंभ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"समूह" "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य-आय कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त —अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो—सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय) हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त-सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर-सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो —अतिरिक्त सदस्य"

(3) आशुलिपिक श्रेणी-3 के स्तंभ (13) के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में ज्येष्ठतम आय-कर आयुक्त —अध्यक्ष

(ख) उसके ठीक नीचे का बहुप्रभारी आय-कर आयुक्त, एकल प्रभारी आय-कर आयुक्त (अपील), यदि कोई हो—सदस्य

(ग) आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), जहां दो आय-कर उपायुक्त (मुख्यालय), हों, वहां प्रभारी ज्येष्ठतम आय-कर उपायुक्त —सदस्य

(घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का स्थानीय उप कलक्टर-सदस्य

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो आय-कर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो जब तक कि (क) से (ग) का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो। -अतिरिक्त सदस्य"

[फा.सं. 32011/6/89-प्रशा.-7]

हरबंश सिंह, अवर सचिव

G.S.R. 625.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules further to amend Income Tax Department, Ministerial Staff (Stenographers) Recruitment Rules, 1989, namely:—

1. These rules may be called Income Tax Department Ministerial Staff (Stenographers) Recruitment (Amendment) Rules 1990.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the schedule to the Income-tax Department Ministerial Staff Stenographers Recruitment Rules, 1989:

(i) for the entry under column (4) against 'Stenographer Grade-II', the following entry shall be substituted, namely:—

"Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600";

(ii) for the entry under column 13 of 'Stenographer Grade-II' the following entry shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of :—

(a) Senior most Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income tax — Chairman

(b) Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge. — Member

(c) Deputy Commissioner of Income Tax Headquarters, where two Deputy Commissioners (Headquarters), the senior most Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge. — Member

(d) Local Deputy Collector of Customs and Central Excise — Member

(e) One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST. — Additional Member

(iii) for the entry under column (13) of

'Stenographer Grade-III', the following entry shall be substituted, namely:—

(a)	Seniormost Commissioner of Income Tax in the region of the Chief Commissioner of Income Tax	Chairman
(b)	Next Commissioner of Income Tax in the multiple Charge, Commissioner of Income Tax (Appeal), if any, in single Charge	Member
(c)	Deputy Commissioner of Income Tax (Headquarters), where two Deputy Commissioners of Income Tax (Headquarters) the senior most Deputy Commissioner of Income Tax of the Charge	Member
(d)	Local Deputy Collector of Customs and Central Excise	Member
(e)	One Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer not below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer unless one of the Members at (a) to (c) belongs to SC/ST	Additional Member

[F.No. A-32012/6/89-Ad. VII]

HARBANS SINGH, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 626.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परीक्षणशाला में सतर्कता अधिकारी के पद की भर्ती को व्यवस्थित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं लागू होने की तारीख :(1) इन नियमों को राष्ट्रीय परीक्षणशाला (सतर्कता अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राज-पत्र में प्रकाशित हो जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और तदनुरूप वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित स्थिति के अनुसार होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक बताई स्थिति के अनुसार होंगी।

4. अनर्हताएं : कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है या शादी करने की संविदा की है, जिसका पहला पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पूर्व पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है या शादी करने की संविदा की है,
उक्त पद में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त शादी ऐसे व्यक्ति, विवाह की दूसरी पार्टी की स्वीय विधि के अंतर्गत मान्य है और ऐसा करने के लिए कोई अन्य आधार है, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार :जहां पर केन्द्र सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसा करना आवश्यक या अति आवश्यक है, तो केन्द्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके लिखित कारण बताते हुए, आदेश बनाकर किसी वर्ग या कटेगरी के व्यक्ति के संबंध में इन नियम के उपबंधों में छूट दे सकती है

6. उन्मुक्तियां : इन नियमों में से कुछ भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष कटेगरी के व्यक्ति, जिन्हें केन्द्र सरकार इस संबंध में समय-समय पर आदेश जारी करके घोषित करती है, को प्रदान की जाने वाली अपेक्षित आयु सीमा में छूट या अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण या गैर प्रवरण पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य पहले की गई सेवा का लाभ मिलेगा	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सतर्कता अधिकारी	1* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	2200-75-2800-द.रो.100-4000 रु.	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप "ए" राजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति होने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति क्या सीधी होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा होगी	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती होने की दशा में वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना है
9	10	11	12
लागू नहीं	पुन: नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (अल्पावधि कांट्रेक्ट सहित) पुन: नियुक्ति	प्रतिनियुक्त पर स्थानांतरण (अल्पावधि कांट्रेक्ट सहित) : केन्द्र/राज्य सरकार/अनुसंधान संस्थाओं/सरकारी उपक्रमों/वैधानिक या स्वायत्त संगठन के वे अधिकारी, जो- (क) 1. नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों या 2. 2000-3500 रुपए या समकक्ष वेतनमान के पद पर 3 वर्ष तक नियमित सेवा कर चुके हों या 3. 1640-2900 रुपए या समकक्ष वेतनमान के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा में हों। (ख) सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव हो और सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियुक्ति सेवा निवृत्त होने या एक वर्ष की अवधि के अंदर रिजर्व में स्थानांतरित होने के कारण सशस्त्र सेना बल के ऐसे कार्मिक जो अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, को भी ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है जिस समय तक उन्हें सेना बलों से रिलीज होना है, इसके बाद वे पुनर्नियुक्ति पर बने रह सकते हैं।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण होना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13	14
(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले, दूसरे सवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन किया जाएगा।

[फाईल सं. ए-12022/2/89-स्था. 1]
आर. पी. बजाे, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Supply)

New Delhi, the 5th September, 1990

G.S.R. 626.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Vigilance Officer in the National Test House, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Test House (Vigilance Officer) Recruitmtnt Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifiaction and scale of pay.—The number of the said post, its classifiaction and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and oher qualifications etc.—The method of recriutment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification of post	Scale of pay
1	2	3	4
Vigilance Officer	1* (1990)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-

*Subject to variation dependent on work load.

Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
5	6	7	8
Not Applicable	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or by transfer on deputation	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation/transfer to be made
9	10	11	12
Not Applicable	2 years for persons coming on re-employment	By transfer on deputation (including short term contract)/ re-employment	Transfer on deputation (inlcuding short-term contract): Officers under the Central/ State Government/Research Institutes/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organisations— (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or

		12
		(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent ; or (iii) with 6 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640–2900/- or equivalent; and (b) Possessing 3 years' experience in dealing with vigilance/disciplinary cases and knowledge of Government rules and regulations. Transfer on deputation for Ex-servicemen re-employment The Armed forces personnel due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience can a lso be considered for appointment to such posts. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.
In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13	14
(period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Not Applicable	Selection shall be made in consultation with the U.P.S.C.

[F.No. A-12022/2/89-ESI]

R.P BATRA, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

(महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 627—सरकारी राजपत्र में उड़नयोग्यता अधिकारी के पद से संबंधित क्र.सं. 47 के लिये जी.एस.आर. सं. 442 दिनांक 21-7-90 द्वारा प्रकाशित नागर विमानन विभाग (समूह "क" तथा "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1990 से संबंधित दिनांक 28 जून, 1990 की अधिसूचना सं. ए.-12018/2/90-स्था-1 में,—

(1) कालम 6 के बाद, एक नया कालम 6 (क) निम्न प्रकार जोड़ा जाये :—

"क्या केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जुड़े हुए सेवा वर्ष का लाभ देय होगा
6(क)
नहीं";

(2) कालम 7 के अन्तर्गत नोट 2 के बाद निम्नलिखित शब्द और संख्याएं जोड़ी जायें—

(1) किसी भी वर्ग में अर्थात् क,ख,ग,घ, और भ में वांछनीय : वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर लाइसेंस

(2) बहु इंजन विमानों या पावर प्लांट या ऐसे वायुयानों पर संस्थापित उपस्कर पर व्यावहारिक अनुभव ;

(3) कालम 22 के अन्तर्गत शीर्षक प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण के नीचे लाईन 15 में मद 4/में उपकरण और वातानुकूलित शब्दों के बीच आये "या" को "का" पढ़ा जाये।

स.ए.-12018/2/90-स्था-1)

एम. भट्टाचार्जी, उपनिदेशक प्रशासन

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(Office of the Director General of Civil Aviation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th September, 1990

G.S.R. 627.—In the notification No. A. 12018/2/90-E.I dated 28th June, 1990 regarding Civil Aviation Department 'Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990, published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 442 dated 21-7-90 for Serial No. 47 relating to the post of Airworthiness Officer,—

(i) after column 6, a new column 6(A) may be inserted as under

"

Whether benefit of added years of Service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.
6(A)
No "

(ii) after note 2 under column 7 the following letters and figures may be added :—

"Desirable :

(i) Aircraft Maintenance Engineer's Licence in any of the categories Viz A, B, C, D, and X

(iii) Under Column 11, under the heading 'Transfer on power plant or equipment installed on such aircrafts.

(iii) Under Column 11, under the heading 'Transfer on deputation/Transfer' in item (iv) in line 15, word 'or' may be read as 'of' occuring between the words 'equivalent' and 'pressurized".

[No. A.12018/2/90-E.I.]

M. BHATTACHARJEE, Dy. Director of Administration

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 628—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, दिल्ली में "घरेलू स्टाफ" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, दिल्ली (घरेलू स्टाफ) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
घरेलू स्टाफ	6 (1990)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	750-12-870-द. रो -14-940 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिये 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
शिक्षित होस्टल/शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल में प्रशिक्षणार्थियों के लिये भोजन पकाने/बागबानी/चौकीदार/अटेंडंट जैसे व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती है, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। 2. अनुभव से संबंधित योग्यता भी सामान्य उम्मीदवारों के लिये सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह "घ" विभागीय पदोन्नति समिति : अधीक्षक, लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, दिल्ली—अध्यक्ष अनुभाग अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली—सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. ए.-11012/27/89-एन पी एम एस]
आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 12th September, 1990

G.S.R. 628.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Domestic Staff' in the Lady Reading Health School, Delhi, in the Directorate General of Health Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Lady Reading Health School, Delhi (Domestic Staff) Recruitment Rules, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Domestic Staff	6 (1990)	General Central Services, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 750-12-870-EB-14-940

Whether selection or non-selection post	Age for direct recruitment	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
5	6	7
Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Literate : One year experience in profession such as Cooking food for trainees/Gardening/ Chowkidar/Attendent in hostel/ Teaching Institute or Hospital. Note:— 1. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancy reserved for them. 2. The qualification regarding experience is also relaxable for general candidates, at the discretion of the competent authority.	Not applicable	2 years

Method of recruitment, whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be fulfilled by various mehods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
11	12	13	14
By direct recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Superintendent, Lady Reading Health School, Delhi—Chairman 2. Section officer, Nursing Section, Directorate of Health Services, New Delhi—Member 3. Any other Gazetted Officer from Minority Community—Member	Not applicable

[No. A-11012/27/89-N/PMS]
R. SRINIVASAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 629:—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1990 है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में,—

(1) नियम 2 में,—

(i) खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(1-क)" बीमारी-प्रसुविधा, प्रसूति-प्रसुविधा, निःशक्तता-प्रसुविधा और आश्रित-प्रसुविधा की दैनिक दर के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी की बाबत "अभिदाय-कालावधि के दौरान की औसत दैनिक मजदूरी" से उस अवधि के दौरान उसको संदेय मजदूरी की कुल रकम के एक सौ पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अभिप्रेत है जो उन दिनों की संख्या से (जिनके अन्तर्गत सवेतन अवकाश दिन और छुट्टी के दिन हैं) जिनके लिए ऐसी मजदूरी संदेय थी, विभाजित करने पर प्राप्त हो;

(1-ख) "मजदूरी कालावधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से:—

(क) उस कर्मचारी की बाबत जो कालानुपाती दर के आधार पर नियोजित है, वह अभिप्रेत होगी जो यदि उसने उस मजदूरी-कालावधि में सभी कार्यदिवसों पर काम किया होता तो, पूरी मजदूरी-कालावधि के लिए संदेय मजदूरी की रकम को यदि वह कर्मचारी मासिक दर पर है तो 26 से, यदि पाक्षिक दर पर है तो 13 से, यदि साप्ताहिक दर पर है तो 6 से, और यदि दैनिक दर पर है तो 1 से विभाजित करने पर प्राप्त हो;

(ख) उस कर्मचारी की बाबत जो किसी अन्य आधार पर नियोजित है, वह अभिप्रेत होगी जो अभिदाय-कालावधि में पूर्ण मजदूरी-कालावधि के दौरान उपार्जित मजदूरी की रकम को उन दिनों की संख्या से, जिनमें उसने पूरे दिन या दिन के भाग में मजदूरी के लिए उस मजदूरी-कालावधि में काम किया था, विभाजित करने पर प्राप्त हो;

परन्तु जहां कर्मचारी ऐसी मजदूरी-कालावधि के दौरान किसी दिन बिना काम किए हुए भी मजदूरी प्राप्त कर लेता है वहां यदि मजदूरी-कालावधि एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह या एक दिन रही है तो क्रमशः यह समझा जाएगा कि उसने 26, 13, 6, या 1 दिन काम किया है।

स्पष्टीकरण:—जहां कोई रात्रि-पारी मध्य-रात्रि के पश्चात् तक चालू रहती है वहां मध्य-रात्रि के पश्चात् रात्रि-पारी की कालावधि की गणना उन दिनों की संगणना में जिनमें काम किया गया है, पूर्ववर्ती दिन के भाग के रूप में की जाएगी।

(1-ग) "प्रसुविधा-कालावधि से अभिदाय-कारालावधि की तत्संबंधी छह क्रमवर्ती मासों से अनधिक की वह कालावधि अभिप्रेत है जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।";

(ii) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(2-क)" अभिदाय-कालावधि से छह क्रमवर्ती मासों से अनधिक की वह कालावधि अभिप्रेत है जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए;

(iii) खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7-क)" "मानक-प्रसुविधा दर" से नियम 54 में विनिर्दिष्ट दैनिक प्रसुविधा दर अभिप्रेत है;

(iv) खण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(10) अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं।";

(2) नियम 10 में, "ग्यारह" शब्द के स्थान पर, "पन्द्रह" शब्द रखा जाएगा;

(3) नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"15-महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें,—

(1) महानिदेशक 7300-7600 रुपए के वेतनमान में और वित्तीय आयुक्त 5900-6700 रुपए के वेतनमान में होगा;

(2) महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, आवास किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते ऐसी दरों पर, और ऐसी भविष्य-निधि, छुट्टी और चिकित्सीय प्रसुविधा प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को उस स्थान पर जहां वे पदस्थ किए गए हैं, मंजूर की जाए;

परन्तु जहां महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही निगम की सेवा में है, तो वह ऐसी पेंशन, उपदान और अन्य अधिवर्षिता प्रसुविधाओं का हकदार होगा जिनके लिए वह महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण से अन्यथा हकदार हो जाता।

परन्तु यह और कि यदि महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, यदि वह कोई ऐसा व्यक्ति है, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, ऐसी होंगी जो प्रत्येक अलग-अलग मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।"

(4) नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(5) नियम 17 और 18 का लोप किया जाएगा;

(6) नियम 19 में, "मुख्य लेखा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;

(7) नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"20. नियम द्वारा पदों का सृजन.— अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निगम में निहित पदों के सृजन की शक्तियों का निगम द्वारा प्रयोग ऐसे पदों के संबंध में किया जाएगा, जिनका अधिकतम वेतनमान 4500—5700 रुपए हैं;

(8) नियम 21 के उपनियम (2) में, "मुख्य रेलपथाधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय सलाहकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(9) नियम 36 का लोप किया जाएगा ;

(10) नियम 37 में, "लेखा परीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "भारत का नियंत्रक महा लेखा परीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ;

(11) नियम 38 में, दो स्थानों पर आने वाले "लेखा परीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "भारत का नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ,

(12) नियम 39 में, "लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर "भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शब्द रखे जाएंगे ।,

(13) नियम 40 के उपनियम (2) में दो स्थानों पर आने वाले "लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर, "भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शब्द रखे जाएंगे ;

(14) नियम 41 में,—

(क) दो स्थानों पर आने वाले, "लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर "भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "उसकी प्रतियां" शब्दों के पश्चात्, "नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर निगम की टिप्पणी सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(15) नियम 43 का लोप किया जाएगा;

(16) नियम 49 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"50—अधिनियम के अधीन कर्मचारी की व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (ख) के अधीन कर्मचारी की व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा एक हजार और छह सौ रुपए मासिक होगी।

परन्तु ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) अभिदाय कालावधि के आरम्भ के पश्चात् न कि पूर्व किसी भी समय एक हजार छह सौ रुपए मासिक से अधिक हो जाए, उस कालावधि के अन्त तक मजदूरी कर्मचारी बना रहेगा।

51. अभिदाय की दर—किसी मजदूरी कालावधि के लिए अभिदाय की दर,—

(क) नियोजक के अभिदाय की बाबत, किसी कर्मचारी को संदेय मजदूरी के बीच पांच प्रतिशत के बराबर (पांच पैसे के ठीक अगले गुणज तक पूर्णांकित की गई) राशि होगी; और

(ख) कर्मचारी के अभिदाय की बाबत, किसी कर्मचारी को संदेय मजदूरी के दो सही एक बटा चार प्रतिशत के बराबर (पांच पैसे के ठीक अगले गुणज तक पूर्णांकित की गई) राशि होगी;

52—कर्मचारी के अभिदाय के संदाय से छूट—धारा 42 के अधीन कर्मचारी के अभिदाय के संदाय से छूट के लिए मजदूरी कालावधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी पन्द्रह रुपए तक जिसके अन्तर्गत ये रुपए भी हैं, होगी।

53. हानियों को बट्टेखाते डालना

जहां निगम की यह राय है कि निगम को देय अभिदाय ब्याज और नुकसानी की रकम अवसूलनीय हो गई है वहां निगम या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उक्त रकम को बट्टेखाते में डालने की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकेगा, अर्थात् :—

(i) स्थापन या कारखाना पांच वर्ष से बंद है और सभी संभव प्रयासों के बावजूद नियोजक का पता ठिकाना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता;

(ii) निगम द्वारा अभिप्राप्त डिक्री को व्यतिक्रमी नियोजक की पर्याप्त आस्तियों के अभाव के कारण सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है;

(iii) अभिदाय के लिए दावे की —

(क) ऐसे कारखानों/स्थापनों की दशा में जिनका परिसमापन हो गया है, सरकारी परिसमापक द्वारा, या

(ख) ऐसे एककों की दशा में जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया है, या सरकार द्वारा अर्जित कर लिए गए हैं, संबंधित आयुक्त द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं की गई है।

54—प्रसुविधा की दैनिक दर—

नीचे दी गई सारणी के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के समूह की बाबत प्रसुविधा की दैनिक दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मानक प्रसुविधा दर" कहा गया है) वह रकम होगी, जो उसके द्वितीय स्तम्भ की तत्संबंधी प्रविष्टि में क्रमशः विनिर्दिष्ट है।

सारणी

उन कर्मचारियों का समूह जिनकी औसत दैनिक मजदूरी	मानक प्रसुविधा दर
1	2
	रु. पै.
1—6 रुपए से कम है	2.50
2—6 रुपए और इससे अधिक है किन्तु 8 रुपए से कम है	3.50
3—8 रुपए और इससे अधिक है किन्तु 12 रुपए से कम है	5.00
4—12 रुपए और इससे अधिक है किन्तु 16 रुपए से कम है	7.00
5— 16 रुपए और इससे अधिक है किन्तु 24 रुपए से कम है	10.00
6— 24 रुपए और इससे अधिक है किन्तु 36 रुपए से कम है	15.00
7— 36 रुपए और इससे अधिक है किन्तु 48 रुपए से कम है	20.00
8— 48 रुपए और अधिक	28.00

55—बीमारी-प्रसुविधाएं —

(1) अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति किसी प्रसुविधा कालावधि के दौरान होने वाली बीमारी के लिए बीमारी-प्रसुविधा का दावा करने के लिए उस दशा में अर्हित होगा जिसमें उसकी बाबत अभिदाय तत्संबंधी अभिदाय कालावधि के दिनों की संख्या के आधे से अन्यून के लिए संदेय है और ऐसी प्रसुविधा अपनी बीमारी की कालावधि के लिए दैनिक मानक प्रसुविधा दर पर पाने का हकदार होगा ।

परन्तु जिस बीमारी के दौर के लिए बीमारी—प्रसुविधा अन्तिम बार दी गई थी उसके पश्चात् पन्द्रह दिन से अनधिक के अन्तराल पर के बीमारी के दौर की दशा में वह बीमारी के प्रथम दो दिनों के लिए प्रसुविधा पाने का हकदार नहीं होगा।

परन्तु यह और कि किन्हीं भी दो क्रमवर्ती प्रसुविधा-कालावधियों में बीमारी प्रसुविधा किसी व्यक्ति को इक्यानवे दिन से अधिक के लिए नहीं दी जाएगी।

(2) किसी व्यक्ति की बाबत किसी प्रसुविधा-कालावधि के दौरान बीमारी प्रसुविधा की दैनिक दर नियम 54 में विनिर्दिष्ट उस व्यक्ति को तत्संबंधी अभिदाय-कालावधि के दौरान की औसत दैनिक मजदूरी की तत्संबंधी मानक प्रसुविधा दर होगी।

56. प्रसूति प्रसुविधा.—

(1) कोई बीमाकृत स्त्री ऐसी किसी प्रसवावस्था के लिए, जो किसी प्रसुविधा-कालावधि में हो या होनी प्रत्याशित हो, प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए उस दशा में अर्हित होगी जिसमें उसकी बाबत अभिदाय ठीक पूर्ववर्ती दो क्रमवर्ती अभिदाय काला-वधियों में अस्सी दिन से अन्यून के लिए संदेय था।

(2) बीमाकृत स्त्री जो उपनियम (1) के अनुसार प्रसूति-प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित है, इस अधिनियम के और यदि कोई विनियम हों, तो उनके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उन सभी दिनों के लिए जिसमें वह, उन बारह सप्ताहों की कालावधि के दौरान, जिनमें से प्रसवावस्था प्रत्याशित तारीख से पहले छह सप्ताह से अधिक न होंगे, पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है, ऐसी प्रसुविधा उपनियम (5) विनिर्दिष्ट दैनिक दर पर पाने की हकदार होगी:

परन्तु जहां बीमाकृत स्त्री अपनी प्रसवावस्था के दौरान या अपनी ऐसी प्रसवावस्था के ठीक पश्चात्वर्ती छह सप्ताहों की कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति-प्रसुविधा की हकदार है, कोई शिशु छोड़कर मर जाती है वहां प्रसूती-प्रसुविधा उस संपूर्ण कालावधि के लिए दी जाएगी, किन्तु यदि उक्त कालावधि के दौरान शिशु भी मर जाता है तो प्रसूति-प्रसुविधा शिशु की मृत्यु तक के दिनों के लिए, जिनमें मृत्यु का दिन भी सम्मिलित है, ऐसे व्यक्ति को, जिसे बीमाकृत स्त्री ने ऐसी रीति से नामनिर्दिष्ट किया हो जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशिती न हो तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, दी जाएगी।

(3) वह बीमाकृत स्त्री जो उपनियम (1) के अनुसार प्रसूति-प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित है, गर्भपात की दशा में, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रसूति-प्रसुविधा की उन सभी दिनों के लिए हकदार होगी जिनमें वह अपने गर्भपात की तारीख के ठीक पश्चात्वर्ती छह सप्ताहों की कालावधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती।

(4) वह बीमाकृत स्त्री, जो उपनियम (1) के अनुसार प्रसूति-प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित है, गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समय-पूर्व शिशु-जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में, ऐसा सबूत पेश करने पर जैसा विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, उन सभी दिनों के लिए, जिनमें वह पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन उसे संदेय प्रसूति-प्रसुविधा के अतिरिक्त उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रसूति-प्रसुविधा की, एक मास से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के दौरान के उन सभी दिनों के लिए जिनको वह पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती, हकदार होगी।

(5) ऐसी प्रसवावस्था की बाबत, जो किसी प्रसुविधा-कालावधि के दौरान हो या प्रत्याशित हो, संदेय प्रसूति-प्रसुविधा की दैनिक दर बीमाकृत स्त्री की बाबत नियम 54 में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी अभिदाय-कालावधि के दौरान की औसत दैनिक मजदूरी की तत्संवाद मानक प्रसुविधा दर के दुगने के बराबर होगी।

57. निःशक्तता प्रसुविधा.—

(1) कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन कर्मचारी के रूप में हुई ऐसी निःशक्तता की कालावधि के लिए (दुर्घटना वाले दिन को अपवर्जित करके) तीस दिन से अन्यून के लिए अस्थायी निःशक्तता के लिए निःशक्तता प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित होगा।

(2) कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन कर्मचारी के रूप में हुई स्थायी निःशक्तता के लिए, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक, ऐसी निःशक्तता के लिए कालिक संदाय का दावा करने के लिए अर्हित होगा:

परन्तु जहां स्थायी निःशक्तता, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक, किसी परिसीमित कालावधि के लिए अनन्तिम रूप से या अन्तिम रूप से निर्धारित की गई है, वहां इस नियम के अधीन उपबंधित प्रसुविधा, यथास्थिति, उस परिसीमित कालावधि के लिए या जीवन भर के लिए संदेय होगी।

(3) (क) निःशक्तता की दैनिक दर वह होगी जो उस प्रसुविधा-कालावधि की, जिसमें नियोजन क्षति होती है, तत्संवाद अभिदाय काला-वधि में की औसत दैनिक मजदूरी की नियम 54 में विनिर्दिष्ट तत्संवाद मानक प्रसुविधा दर से चालीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा।

(ख) जहां कोई नियोजन-क्षति किसी व्यक्ति की बाबत पहली प्रसुविधा कालावधि के प्रारंभ से पूर्व घटित होती है वहां निःशक्तता की दैनिक दर:—

(i) जहां किसी व्यक्ति को नियोजन-क्षति उस अभिदाय-कालावधि में, जिसमें वह क्षति घटित होती है, प्रथम मजदूरी-कालावधि के अवसान के पश्चात् होती है वहां, वह दर होगी जो उस मजदूरी समूह की, जिसमें उस मजदूरी-कालावधि के दौरान की उसकी औसत दैनिक मजदूरी आती है, तत्संवाद मानक प्रसुविधा दर से चालीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा;

(ii) जहां किसी व्यक्ति को नियोजन-क्षति उस अभिदाय-कालावधि में, जिसमें वह क्षति घटित होती है, प्रथम मजदूरी-कालावधि के अवसान से पूर्व होती है, वहां वह दर होगी जो उस समूह की, जिसमें वस्तुतः उपार्जित मजदूरी या वह मजदूरी आती है, जो यदि दुर्घटना की तारीख को, उसने पूरे दिन काम किया होता तो उपार्जित की गई होती, तत्संवादी मानक प्रसुविधा दर से चालीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—यथापूर्वोक्त संगणित निःशक्तता-प्रसुविधा दर, "पूरी दर" कहलाएगी

(4) निःशक्तता-प्रसुविधा बीमाकृत व्यक्ति को निम्नलिखित रूप में संदेय होगी :—

(क) अस्थायी पूर्ण निःशक्तता के लिए पूरी दर पर;

(ख) स्थायी पूर्ण निःशक्तता के लिए, पूरी दर पर;

(ग) द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षति के परिणामस्वरूप हुई स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए उस पूरी दर के, जो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होती, उतने प्रतिशत पर जो उक्त अनुसूची में उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट है;

(घ) उस क्षति के, जो द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट नहीं है, परिणामस्वरूप हुई स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए उस पूरी दर के, जो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होती, उतने प्रतिशत पर जितना उस क्षति द्वारा स्थायी रूप से कारित उपार्जन सामर्थ्य की हानि का आनुपातिक हो।

स्पष्टीकरण.—जहां एक ही दुर्घटना से एक से अधिक क्षतियां कारित होती हैं वहां खंड (ग) और (घ) के अधीन संदेय प्रसुविधा की दर संकलित कर ली जाएगी किन्तु किसी भी दशा में ऐसे संकलित नहीं की जाएगी कि वह पूरी दर से अधिक हो जाए और निःशक्तता की उन

दशाओं में जो खंडों (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत नहीं आती पूरी दर से अनधिक ऐसी दर पर, जो विनियमों में उपबंधित की जाए ।

58. आश्रित-प्रसुविधा,-आश्रित-प्रसुविधा ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के जिसकी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, आश्रितों को निम्नलिखित रीति में दी जाएगी :--

(अ) क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में, आश्रित-प्रसुविधा उसकी विधवा और बच्चों को निम्नलिखित रूप में संदेय होगी :—

(क) विधवा को जीवन पर्यंत या पुनर्विवाह तक, पूरी दर की तीन पंचमांश के समतुल्य रकम, और यदि दो या अधिक विधवाएं हैं तो विधवा को यथापूर्वोक्त संदेय रकम उन विधवाओं में बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएगी;

(ख) हर एक धर्मज या दत्तक पुत्र को, पूरी दर के दो पंचमांश के समतुल्य रकम, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता :

परन्तु ऐसे धर्मज पुत्र की दशा में जो शिथिलांग है और बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः आश्रित है, आश्रित प्रसुविधा तब तक दी जाती रहेगी जब तक वह अंग-शैथिल्य बना रहता है।

(ग) हर एक धर्मज या दत्तक अविवाहिता पुत्री को, पूरी दर के दो पंचमांश के समतुल्य रकम तब तक जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या उसका पुनः विवाह नहीं हो जाता, इन दोनों में से जो भी पहले हो;

परन्तु ऐसी धर्मज या दत्तक अविवाहित पुत्री की दशा में जो शिथिलांग है और बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः आश्रित है, आश्रित प्रसुविधा तब तक दी जाती रहेगी जब तक वह अंग शैथिल्य बना रहता है और वह अविवाहिता रहती है :

परन्तु यह और कि यदि मृत व्यक्ति की विधवा या विधवाओं और धर्मज या दत्तक संतान के बीच, जैसा ऊपर कहा गया है, वितरित आश्रित प्रसुविधाओं का योग किसी भी समय पूरी दर से अधिक हो जाए तो आश्रितों में से हर एक का अंश अनुपाततः ऐसे कम कर दिया जाएगा कि उन्हें संदेय कुल रकम पूरी दर पर निःशक्तता-प्रसुविधा की कुल रकम से अधिक न हो।

(आ) उस दशा में, जब मृत व्यक्ति विधवा या धर्मज या दत्तक संतान नहीं छोड़ जाता है, आश्रित प्रसुविधा अन्य आश्रितों को निम्नलिखित रूप में संदेय होगी ।

(क) माता या पिता, या पितामह या पितामही को जीवन पर्यन्त पूरी दर के त्रिदशांश के समतुल्य रकम और यदि दो या अधिक माता-पिता या पितामह-पितामही हों तो माता-पिता या पितामह-पितामही को यथापूर्वोक्त संदेय रकम उनके बीच बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएगी ;

(ख) किसी अन्य—

(i) पुरुष आश्रित को, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;

(ii) स्त्री आश्रित को जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या उसका विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, या यदि विधवा है तो जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या उसका पुनः विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, पूरी दर के दो दशांश के समतुल्य रकम;

परन्तु यदि खंड (ख) के अधीन आश्रित एक से अधिक हों तो इस खंड के अधीन संदेय रकम उनके बीच बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएगी।

(2) (क) आश्रित-प्रसुविधा की दैनिक दर वह होगी जो उस प्रसुविधा-कालावधि की, जिसमें नियोजन क्षति होती है, तत्संबंधी अभिदाय कालावधि में की औसत दैनिक मजदूरी की नियम 54 में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी मानक प्रसुविधा दर से चालीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा।

(ख) जहां कोई नियोजन-क्षति किसी व्यक्ति की बाबत पहली प्रसु-विधा-कालावधि के प्रारम्भ से पूर्व घटित होती है वहां आश्रित-प्रसुविधा की दैनिक दर :—

(i) जहां किसी व्यक्ति को नियोजन-क्षति उस अभिदाय-कालावधि में, जिसमें वह क्षति घटित होती है, प्रथम मजदूरी-कालावधि के अवसान के पश्चात होती है वहां वह दर होगी जो उन मजदूरी समूह की, जिसमें उस मजदूरी-कालावधि के दौरान की उसकी औसत दैनिक मजदूरी आती है, तत्संबंधी मानक प्रसुविधा दर से चालीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा;

(ii) जहां किसी व्यक्ति को नियोजन-क्षति उस अभिदाय कालावधि में, जिसमें वह क्षति घटित होती है, प्रथम मजदूरी-कालावधि के अवसान से पूर्व होती है वहां, वह दर होगी जो उस समूह की, जिसमें वस्तुतः उपार्जित मजदूरी या वह मजदूरी आती है जो यदि दुर्घटना की तारीख को उसने पूरे दिन काम किया होता तो उपार्जित की गई होती, तत्संबंधी मानक प्रसुविधा दर से चालीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:—यथापूर्वोक्त संगणित आश्रित-प्रसुविधा की दर, "पूरी दर" कहलाएगी ।

59.—अंत्येष्टि व्यय,--अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए अंत्येष्टि व्ययों की रकम एक हजार रुपए होगी ।

60. ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को जो स्थायी निःशक्तता के कारण बीमा-योग्य नियोजन में नहीं रहा है, चिकित्सा-सुविधा—ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जो किसी नियोजन क्षति के कारण हुई स्थायी निःशक्तता के परिणामस्वरूप बीमा योग्य नियोजन में नहीं रह जाता है, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विहित पैमाने पर अपने और अपने पति या पत्नी के लिए चिकित्सा-प्रसुविधा निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, उस तारीख तक प्राप्त करने का पात्र होगा जिस तारीख को वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर नियोजन रिक्त कर देता, यदि वह ऐसी स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त न हुआ होता :—

(i) ऐसे किसी अधिकारी के जो निगम द्वारा प्राधिकृत किया जाए, समाधानप्रद रूप में ऐस क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा ऐसे सबूत का प्रस्तुत किया जाना कि वह नियोजन क्षति के कारण हुई स्थायी निःशक्तता के परिणामस्वरूप बीमा योग्य नियोजन में नहीं रह गया है/ रह गई है; और

(ii) निगम द्वारा विहित रीति में निगम के सम्बद्ध कार्यालय में एक समय पर एक वर्ष के लिए प्रतिमास दस रुपए की दर से अग्रिम रूप से एकमुश्त अभिदाय का संदाय।

61. सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा-प्रसुविधा—ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जो पांच वर्ष से अन्यून के लिए बीमाकृत होने के पश्चात् अधि-वर्षिता की आयु प्राप्त करने पर बीमा योग्य नियोजन को छोड़ देता है, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विहित पैमाने पर, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए अपने और अपने पति या पत्नी के लिए चिकित्सा-प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होगा :—

(i) ऐसे अधिकारी के जो निगम द्वारा प्राधिकृत किया जाए, समाधान-प्रद रूप में अपनी अधिवर्षिता और न्यूनतम पांच वर्ष

के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहने का सबूत प्रस्तुत करता है; और

(ii) निगम द्वारा विहित रीति में निगम के सम्बद्ध कार्यालय में एक समय पर एक वर्ष के लिए प्रतिमास दस रुपए की दर से अग्रिम रूप से एकमुश्त अभिदाय का संदाय।

62. नकद-प्रसुविधा दिए जाने पर, वर्जन,—जहां बीमाकृत व्यक्ति को अधिनियम की धारा 84 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां वह निगम के सम्बद्ध कार्यालय में न्यायालय के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन मास और प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए छह मास की अवधि तक अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी नकद प्रसुविधा के लिए हकदार नहीं होगा।"

[सं. एस-65012/1/89-एसएस-I]

ए.के. भट्टाराई, अवर सचिव

पाद टिप्पणी

मूल स्कीम भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(i) दिनांक 22 जून, 1950 में श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 दिनांक 22-6-50 के रूप में प्रकाशित हुई थी। मूल रूप में लागू की गयी स्कीम में बाद में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया:—

(1) जी.एस.आर. 80 दिनांक 9-1-1960.
(2) जी.एस.आर. 1200 दिनांक 17-9-1960
(3) जी.एस.आर. 594 दिनांक 29-3-1963.
(4) जी.एस.आर. 240 दिनांक 6-2-1964.
(5) जी.एस.आर. 1834 दिनांक 18-12-1964.
(6) जी.एस.आर. 474 दिनांक 19-3-1965.
(7) जी.एस.आर. 1082 दिनांक 29-6-1968.
(8) जी.एस.आर. 545 दिनांक 14-4-1967.
(9) जी.एस.आर. 500 दिनांक 26-3-1968.
(10) जी.एस.आर. 677 दिनांक 29-3-1968.
(11) जी एस.आर. 1106 दिनांक 22-5-1968.
(12) जी.एस.आर. 2113 दिनांक 28-11-1968.
(13) जी.एस.आर. 306 दिनांक 7-3-1974.
(14) जी.एस.आर. 1122 दिनांक 1-10-1974.
(15) जी.एस.आर. 56 दिनांक 23-12-1976.
(16) जी.एस.आर. 60 दिनांक 4-1-1981.
(17) जी.एस.आर. 129 दिनांक 9-2-1987.
(18) जी.एस.आर. 199 दिनांक 6-3-1990.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th September, 1990

G.S.R. 629.—The following draft of rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, which the Central Government after consultation with the Employees State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after forty five days from the date of its publication in the Official Gazette.

2 Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Second Amendment Rules, 1990

2 In the Employees' State Insurance (Central) Rules 1950,

(1) in rule 2,—

(i) after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(1-A)" Average daily wages during a contribution period" means, in respect of any employee for the purpose of the daily rate of sickness benefit maternity benefit, disablement benefit and dependent's benefit the sum equal to one hundred and fifteen per cent of the aggregate amount of wages payable to him during that period, devided by the number of days (including paid holidays and leave days) for which such wages were payable.

(1-B) "Average daily wages during a wage period "means"—

(a) is respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he monthly rated, 13 if the fornightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;

(b) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period;

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period he shall be deemed to have worked for 26,13,6 or 1 days or day if the wage period be a month, a a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation.—Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckening the pay worked as a part of the day proceeding;

(1-C) "benefit period" means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in the regulations" ;

(ii) after clause (2), the following clause shall be inserted, namely :—

'(2-A) "Contribution period" means the period not exceeding six consecutive months, as may be specified in the regulations." ;

(iii) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely :—

'(7-A) "Standard benefit rate" means the daily rate of benefit specified in rule 54" ;

(iv) after clause (9), the following clause shall be inserted, namely :—

"(10) all other words and expressions shall have the meaning respectively assigned to them in the Act" ;

(2) in rule 10 for word "eleven", the word "fifteen" shall be substituted ;

(3) for rule 15, the following rule shall be substituted, namely :—

"15. Salaries, allowances and conditions of service of the Director General and Financial Commissioner,—

(1) Director General shall be in the scale of pay of Rs. 7300—7600 and the Financial Commissioner shall be in the scale of pay of Rs. 5900—6700.

(2) The Director General and the Financial Commissioner shall receive dearness allowance, city compensatory allowance, house rent allowance, travelling allowance and other allowances, at such rates, and such provident fund, leave and medical benefits as may be sanctioned for the officers of the Central

Government drawing similar salary at the place where they are posted :

Provided that where the Director General or the Financial Commissioner is a person already in the service of the Corporation, he shall be entitled to pension, gratuity and other superannuation benefits to which he would have been otherwise entitled but for his appointment as the Director General or the Financial Commissioner :

Provided further that the pay, allowances and other conditions of service of the Director General or the Financial Commissioner, if he is a person already in the service of the Government shall be such as may be determined by the Central Government in each individual case," ;

(4) in rule 16, in sub-rule (1), clause (ii) shall be omitted ;

(5) rules 17 and 18 shall be omitted ;

(6) in rule 19, for the words "Chief Accounts Officer", the words "Financial Commissioner" shall be substituted ;

(7) for rule 20, the following rules shall be substituted, namely :

"20. Creation of posts by the Corporation.—The powers for creation of posts vested in the Corporation under sub-section

(1) of section 17 of the Act shall be exercised by the Corporation in relation to posts carrying maximum scale of pay of Rs. 4500-5700";

(8) In rule 21, in sub-rule (2), for the words "Chief Accounts Officer", the words "Financial Commissioner" shall be substituted;

(9) rule 36 shall be omitted;

(10) in rule 37, for the words "the auditors" the words "The Comptroller and Auditor General of India" shall be substituted;

(11) in rule 38, for the word "auditors", occurring at two places the words "Comptroller and Auditor General of India" shall be substituted;

(12) in rule 39, for the words "auditors report", the words "report of the Comptroller and Auditor General of India" shall be substituted,

(13) in rule 40, in sub-rule (2), for the words "auditor's report" occurring at two places, the words "report of Comptroller and Auditor General of India" shall be substituted";

(14) in rule 41,—

(a) for the words "auditors' report" occurring at two places, the words, the report of the Comptroller and Auditors General of India" shall be substituted;

(b) after the words "copies thereof", the words "together with the comments of the Corporation on the report of the Comptroller and Auditors General" shall be inserted;

(15) rule 43 shall be omitted;

(16) after rule 49, the following rules shall be inserted, namely :—

"50 Wage limit for coverage of employee under the Act,—The wage limit for coverage of an employee under sub-clause (b) of clause (9) of Section 2 of the Act shall be one thousand and six hundred rupee a month's :

Provided that an employee whose wages (excluding remuneration for overtime work) exceed one thousand and six hundred rupees a month at any time after and not before the beginning of the contribution period, shall continue to be a employee until the end of that period.

51. Rates of contribution.—The amount of contribution for a wage period shall be in respect of,—

(a) employer's contribution, a sum (rounded to the next higher multiple of five paise) equal to five per cent of the wages payable to an employee; and

(b) employee's contribution, a sum (rounded to the next higher multiple of five paise) equal to two and one fourth per cent of the wages payable to an employee :

52. Exemption from payment of employee's contribution.—The average daily wages during a wage period for exemption from payment of employee's contribution under section 42 shall be upto and inclusive of rupees fifteen.

53. Writing off of losses.—(1) Where the Corporation is of the opinion that the amount of contribution, interest and damages due to the Corporation has become irrecoverable, the Corporation or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the followng conditions, namely :—

(i) establishment or factory has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;

(ii) decree obtained by the Corporation could not be executed successfully for want of sufficient assests of the defaulting employer; or

(iii) claim for contribution is not fully met by—

(a) the Official Liquidator in the event of factories establishments having gone into liquidation; or

(b) the Commissioner of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

54. Daily rate of benefit.—Daily rate of benefit (hereinafter referred to as the "standard benefit rate" in respect of group of employees specified in the first column of the table below shall be the amount respectively specified in the corresponding entry in the second column thereof.

TABLE

GROUP OF EMPLOYEES WHOSE STANDARD BENEFIT RATE AVERAGE DAILY WAGES ARE	Rs. NP.
1. Below Rs. 6	2.50
2. Rs.6 and above but below Rs.8	3.50
3. Rs.8 and above but below Rs.12	5.00
4. Rs.12 and above but below Rs.16	7.00
5. Rs 16 and above but below Rs.24	10.00

Contd....8/—

55. Sickness benefit.—(1) Subject to the provisions of the Act and the regulations, a person shall be qualified to claim sickness benefit for sickness occurring during any benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than half the number of days of the corresponding contribution period and shall be entitled to receive such benefit at the daily standard benefit rate for the period of his sickness :

Provided that he shall not be entitled to the benefits for the first two days of sickness in the case of a spell of sickness following, at an interval of not more than fifteen days, the spell of sickness for which sickness benefits were last paid :

Provided further that sickness benefits shall not be paid to any person for more than ninety one days in any two consecutive benefit periods.

(2) The daily rate of sickness benefits in respect of a person during any benefit period shall be "the standard benefit rate" specified in rule 54 corresponding to the average daily wages of that person during the corresponding contribution period.

56. Maternity Benefits.—(1) An insured woman shall be qualified to claim maternity benefits for a confinement occurring or expected to occur in a benefit period, if the contributions in respect of her were payable for not less than eighty days in the immediately proceding two consecutive contribution periods.

(2) Subject to the provisions of the Act and the regulations, if any, in insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with sub-rule (1) shall be entitled to receive it at the daily rate specified in sub-rule (5) for all days on which she does not work for remuneration during a period of twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the expected date of confinement :

Provided that where the insured woman dies during her commitment or during the period of six weeks immediately following her confinement for which she is entitled to maternity benefits, leaving behind in either case, the child maternity benefits shall be paid for the whole of that period but if the child also dies during the said period, then for the days upto and including the day of the death of the child, to the person nominated by the insured woman, in such manner as may be specified in the regulations, and if there is no such nominee, to her legal representative.

(3) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with sub-rule (1) shall, in case of miscarriage, be entitled, on production of such proof, as may be required under the regulations, to maternity benefits at the rates specified in sub-rule (5), for all days on which she does not work for remuneration during of six weeks immediately following the date of her miscarriage.

(4) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with sub-rule (1), in case of sickness arising out of pregnancy, confinment, premature birth of child or miscarriage shall, on production of such proof as may be required under the regulations, be entitled, in addition to the maternity benefits payable to her under any other provisions of the Act, for all days on which she does not work for remuneration to maternity benefits at the rates specified in the sub-rule (5) for all days on which she does not work for remuneration during an additional period not exceeding one month.

(5) The daily rate of maternity benefits payable in respect of confinement occurring or expected to occur during any benefit period shall be equal to twice the standard benefit rate specified in rule 54 corresponding to the average daily wages in respect of the insured woman during the corresponding contribution period

57. Disablement benefits.—(1) A person shall be qualified to claim disablement benefits for temporary disablement for not less than three days (excluding the day of accident) for the period of such disablement sustained as an employees under the Act.

(2) A person shall be qualified to claim periodical payment for permanent disablement sustained as an employee under the Act, whether total or partial, for such disablement:

Provided that where permanent disablement, whether total or partial, has been assessed provisionally for a limited period or finally, the benefit provided under this rule shall be payable for that limited period, or as the case may be, for life.

(3) (a) The daily rate of disablement shall be forty percent more than the standard benefit rate specified in rule 54 rounded to the next higher multiple of five paise corresponding to the average daily wages in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs :

(b) Where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of disablement shall be—

(i) Where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, the rate, forty percent more than the standard benefit rate rounded to the next higher multiple of five paise corresponding to the wage group in which his average daily wages during that wage period fall ;

(ii) where the person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, the rate, forty percent more than the standard benefit rate, rounded to the next higher multiple of five paise corresponding to the group in which wages are actually earned or which would have been earned, had he worked for a full day on the date of accident.fall.

Explanation : The disablement benefit calculated as aforesaid shall be called the "full rate".

(4) The disablement benefits shall be payable to the insured person as follows :—

(a) for temporary disablement, at the full rate :

(b) for permanent total disablement, at the full rate ;

(c) for permanent partial disablement resulting from an injury specified in part-II of the Second Schedule, at such percentage of the full rate which would have been payable in the case of permanent total disablement, as specified in the said schedule as being the percentage of the less of earning capacity caused by the injury ;

(d) for permanent partial disablement resulting from an injury not specified in part-II of the Second Schedule at such percentage of the full rate payable in the case of permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity permanently caused by the injury.

Explanation.—Where more injuries than one are caused by the same accident, the rate of benefit payable under clauses (c) and (d) shall be aggregated but not so in any case as to exceed the full rate and in cases of disablement not covered by clause (a), (b) (c) and (d) at such rate, not exceeding the full rate, as may be provided in the regulations.

58. Dependent's benefits.—(1) Dependents benefit shall be paid to the dependents of the insured person who does as a result of an employment injury in the following manner :—

(A) In the case of death of the insured person, the dependents' benefits shall be payable to his widow and children as follows :—

(a) to the widow during life until remarriage, an amount equivalent to three-fifths of the full rate and, if there are two or more widows, the amount payable to the widow as aforesaid shall be divided equally between the widows ;

(b) to each legitimate or adopted son an amount equivalent to two-fifths of the full rate until he attains the age of eighteen years ;

Provided that in the case of a legitimate son who is infirm and who is wholly dependent on the earnings of the insured person at the time of his death, dependents' benefits shall continue to be paid while the infirmity lasts ;

(c) to each legitimate or adopted unmarried daughter an amount equivalent to two-fifths or the full rate until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier :

Provided that in the case of legitimate or adopted unmarried daughter who is infirm and is wholly dependent on the earnings of the insured person at the time of his death, dependents'—benefit shall continue to be paid while the infirmity lasts and she continues to be unmarried ;

Provided further that if the total of the dependents benefits distributed among the widow or widows and legitimate or adopted children of the deceased person as aforesaid exceeds at any time the full rate, the share of each of the dependents shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.

(B) In case the deceased person does not leave widow or legitimate or adopted child, dependent's benefits shall be payable to other dependents as follows :—

(a) to a parent or grand-parent, for life, at an amount equivalent to three tenths of the full rate and if there are two or more parents or grand-parents, the amount payable to the parents or grand-parents as aforesaid shall be equally divided between them :

(b) to any other—

(i) male dependent, until he attains the age of eighteen years,

(ii) female dependent, until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier or if widowed, until the attains eighteen years of age or re-marriage, whichever earlier at an amount equivalent to two-tenths of the full rate :

Provided that if there be more than one dependent under this clause (b) the amount payable under this clause shall be equally divided between them.

(2) (a) The daily rate of dependant's benefit shall be forty per cent more than the standard benefit rate specified in rule 54 rounded to the next higher multiple of five paise corresponding to the average daily wages in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs.

(b) Where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of dependant's benefit shall be :—

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, the rate, forty percent more than the standard benefit rate rounded to the next higher multiple of five paise corresponding to the wage group in which average daily wages during that wage period fall ;

(ii) where the person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, the rate, forty percent more than the standard benefit rate, rounded to the next higher multiple of five paise corresponding to the group in which wages actually earne dor which would have been earned had he worked for a full day on the date of accident fall.

Explanation.—The dependants' benefit rate calculated as aforesaid shall be called the "Full rate".

59. Funeral expenses.—The amount of funeral expenses for the purpose of clause (f) of sub-section (1) of section 46 of the Act shall be one thousand rupees.

60. Medical benefits to insured person who ceases to be in an insurable employment on account of permanent disablement—An insured person who ceases to be in an insurable employment of account of permanent disablement caused due to an employment injury shall be eligible to receive medical benefits for himself and his spouse at the scale prescribed under the Act and the regulations made thereunder till the date on which he would have vacated the employment on attaining the age of superannuation. had he not sustained such permanent disablement, subject to :—

(i) the production of proof by such an insured person that he ceased to be in an insurable employment on account of permanent disablement due to employment injury to the satisfaction of such officer as may be authorised by the Corporation ; and

(ii) the payment of contribution at the rate of ten rupees per month in lump sum for one year at a time in advance to the concerned office of the Corporation in the manner prescribed by it.

61. Medical benefits to retired insured persons—An insured person who leaves the insurable employment on attaining the age of superannuation after being insured for not less than five years, shall be eligible to receive medical benefits for himself and his spouse at the scale prescribed under the Act and the regulations made thereunder, subject to :—

(i) the production of proof of his superannuation and having been in the insurable employment for a minimum of five years to the satisfaction of such officers as may be authorised by the Corporation ; and

(ii) the payment of contribution at the rate of ten rupees per month in lump-sum for one year at a time in advance to the concerned office of the Corporation in the manner prescribed by it.

62. Bar on grant of cash benefit.—Where an insured person is convicted under section 84 of the Act, he shall not be entitled to any cash benefit admissible under the Act for a period of three months for first conviction and six months for each subsequent conviction from the date of receipt of judgement of the court in the concerned office of the Corporation.'

[No. S-65012/1/89-SS I]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide Government of India, Ministry of Labour Notification No. SRO 212, dated 22-6-1950 and these rules were subsequently amended by the following notifications :—

1. GSR 80 dated 9-1-1960
2. GSR 1200 dated 27-9-1960
3. GSR 594 dated 29-3-1963
4. GSR 240 dated 6-2-1964
5. GSR 1834 dated 18-12-1964
6. GSR 474 dated 19-3-1965
7. GSR 1082 dated 29-6-1966
8. GSR 545 dated 14-4-1967
9. GSR 500 dated 6-3-1968
10. GSR 677 dated 29-3-1968
11. GSR 1106 dated 22-5-1968
12. GSR 2113 dated 28-11-1968
13. GSR 306 dated 7-3-1974
14. GSR 1122 dated 1-10-1974
15. GSR 56 dated 23-12-1976
16. GSR 60 dated 4-1-1982
17. GSR 129 dated 9-2-1987
18. GSR 199 dated 6-3-1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990